मॉड्यूल 3: विशेष किशोर पुलिस इकाई

सत्र 2: देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों के सन्दर्भ में पुलिस की भूमिका

अवधि: 7:04 मिनट

देखरेख एवं संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों के संदर्भ में पुलिस की भूमिका– बाल अनुकूल कार्य पद्धति

आप यह पहले ही जान चुके हैं कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत देखरेख एवं संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के साथ दोस्ताना बर्ताव किया जाना अनिवार्य है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु देश की सर्वोच्च संस्था है, वह सभी पुलिस थानों में रंगीन पोस्टर और उपयुक्त फर्नीचर के साथ सजाए गए बच्चे के अनुकूल कोने या कमरे तैयार करने की सिफारिश करता है।

कई राज्यों में बाल मित्र पुलिस थानों ने बाल अनुकूल कार्य पद्धति विकसित की है।

आप नीचे दिए गए लिंक पर केरल में एक ऐसी पहल को देख सकते हैं।

आईए अब देखरेख एवं संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों के लिए पुलिस की भूमिका, बाल अनुकूल कार्य पद्धति के माध्यम से समझें।

- देखरेख एवं संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों की पहचान
- मुक्त कराना/प्राप्ति करना
- देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की पहचान/ प्राप्ति/बचाव की प्रक्रिया
- दैनिक डायरी (डीडी)/ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर)

संरक्षण और देखरेख के ज़रूरतमंद बच्चे की पहचान

आप पहले ही जान चुके हैं कि बीट अधिकारी को अपने कार्यक्षेत्र में देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसे बच्चों की जानकारी पुलिस को गैर सरकारी संस्थाओं तथा अन्य नागरिक समाज संगठनों से प्राप्त हो सकती हैं या बच्चा स्वयं पुलिस के पास सहायता मांगने आ सकता है। कोविड के दौरान पुलिस अधिकारियों को जरूरतमंद बच्चों को भोजन वितरित करते हुए आपने देखा होगा।

मुक्त कराना/प्राप्त करना

बच्चे को मुक्त कराना या प्राप्त करना पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है।

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के साथ कार्य करते समय पुलिस को मौके पर या किसी शोषणात्मक स्थिति से मुक्त कराते समय संवेदनशील होना चाहिए। बच्चे के साथ पूरी बातचीत मैत्रीपूर्ण और बिना धौंस वाले तरीके से होनी चाहिए। बच्चों के माता–पिता तथा अभिभावकों के साथ बातचीत के दौरान भी पुलिस कर्मी को संवेदनशील होना चाहिए।

आईए अब हम किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 31 के तहत, देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की पहचान/प्राप्ति/मुक्त कराने के संबंध में पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली कार्य पद्धतियों को समझें

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा किशोर न्याय मॉडल नियम 2016 के अंतर्गत पुलिस द्वारा देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चे को प्राप्त करने या पाने पर अपनायी जाने वाली कार्य पद्धति का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया गया है।

मूल ज़रूरतों की पहचान करना एवं उन्हें पूरा करनाः पुलिस

को बच्चे की तात्कालिक मूलभूत ज़रूरतों जैसे भोजन, कपड़ा, जूता–चप्पल आदि के बारे में जानकारी होनी अत्यन्त महत्वपूर्ण है और बच्चे को प्राप्त करने के बाद, चाहे कोई उसे लेकर आया हो या पुलिस ने उसे मुक्त कराया हो, जितनी जल्दी हो सके उसकी जरूरतों का इंतजाम करना चाहिए।

उन्हें यह भी समझना होगा कि बच्चे की मूलभूल आवश्यकताएं भिन्न हो सकती हैं; यह इस बात पर निर्भर करेगा कि बच्चा किस स्थिति या परिस्थिति में पाया गया, उसकी उम्र क्या है, लिंग, क्षमता, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है।

किसी दुर्व्यवहार के शिकार बच्चे से बातचीत करने के लिए पुलिस को किसी गैर–सरकारी संस्था के कार्यकर्ता की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बच्चा सहजता से बात कर सके और उसके मानसिक कष्ट में कमी आए। यह एक तात्कालिक आवश्यकता है।

दैनिक डायरी इंट्री/प्रथम सूचना रिपोर्टः पुलिस को यह जानकारी होनी चाहिए कि देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद हरेक बच्चे के मामले में दैनिक डायरी में एंट्री अवश्य की जानी चाहिए।

महत्वपूर्ण बिन्दू जिन्हें याद रखना चाहिए

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे के सन्दर्भ में कार्य करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो याद रखी जानी चाहिए। केस स्टडीज़ के माध्यम से हमने बच्चों के साथ विभिन्न स्थितियों में दुर्व्यवहार और शोषण के मामले को देखा है, जहाँ पुलिस द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

एक बाल मजदूर के साथ शोषण की स्थिति में पुलिस कई कदम उठा सकती है जैसे किः

- आई.पी.सी. की धारा 340, 341, 367, 370 और 376 के तहत, बाल एवं किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा 14, 15 के तहत और किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 79 के तहत पुलिस कार्यवाही कर सकती है।
- ऐसा व्यक्ति सश्रम कारावास अथवा एक लाख रुपया जुर्माने से दण्डित होगा।
- अगर बच्चे से बंधवा मजदूरी करवाई जा रही हो तो बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 10,16, 22 के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिकी अवश्य दर्ज़ की जानी चाहिए।

- दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार बाल मज़दूरी करनेवाले नियोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज़ करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, श्रम विभाग की नहीं (कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली रिट याचिका (सी०) 4161/2018)

बच्चों से भीख मंगवाने की स्थिति में

- किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 76 के तहत पुलिस कार्यवाही कर सकती है।

बच्चे के विरूद्ध क्रूरता के मामले में

- जिनकी देखरेख अथवा नियंत्रण में बच्चे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों द्वारा बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या शोषण के मामले में पुलिस को, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2016 की धारा 75 के तहत अपराधी पर केस दर्ज़ करना चाहिए।

सड़क पर रहने वाले या खोए/पाए गए बच्चों के मामले में

पुलिस की क्या भूमिका होगी? आईए जानें

- बच्चे का विवरण चाईल्ड लाईन/गैर सरकारी संस्थाओं, बाल कल्याण समिति और मिसिंग पर्सन स्कवैड को दें।
- बिना देर किए एफआईआर दर्ज़ की जानी चाहिए।
- समाचार पत्र में बच्चे के चित्र का प्रकाशन सुनिश्चित करें।
- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार गुमशुदा बच्चे का विवरण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी प्रसारित किया जना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2017 में गुमशुदा बच्चों के सन्दर्भ में मानक कार्य पद्धति तैयार की है।

स्क्रीन पर दिए लिंक को खोलकर आप इसे पढ़ सकते हैं।